

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०-०९/उपा०बीज अनु०-६२/२०१० ५९९४ /कृ० पटना, दिनांक २९-११-२०१६

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स श्री चक्र एग्रीटेक प्रा० लि०,  
कृष्णा सीड्स, कृष्णा टावर,  
डा० कमाल अशरफ लेन,  
एस०पी० वर्मा रोड, पटना।

विषय : अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान के राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या-२२०/२०११ वैधता तिथि १६.०१.२०१४ के वैधता समाप्ति तिथि तक अनुज्ञप्ति नवीकरण संबंधी कागजात एवं शुल्क अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए निर्धारित अवधि तक बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आपके अनुज्ञप्ति संख्या-२२०/२०११ को वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

५९९४

/कृ०, पटना, दिनांक २९-११-२०१६

प्रतिलिपि:- १. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश १९८३ के आलोक में कार्रवाई की जाय।

२. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।